न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 450–एक/2000 विरूध्द आदेश दिनांक 01–12–99 पारित अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 189/1985–86 निगरानी.

बद्रीलाल पिता रतनलाल जी
नि0 ग्राम खारसौद खुर्द, पर0 बड़नगर,
जिला उज्जैन, म0प्र0 ––– आवेदक

विरूध्द

1– म0प्र0 शासन
2– रायसिंह वल्द धूलाजी (मृत) वारिसान–
अ– बद्रीलाल पिता रायसिंह नि0 ग्राम खारसौद खुर्द, पर0 बड़नगर, जिला उज्जैन
ब– श्रीमती नन्दीबाई पुत्री रायसिंह विधवा पन्नालाल नि0 ग्राम मलवासा, तह0 खाचरौद, जिला उज्जैन
स– श्रीमती भूलीबाई पुत्री रायसिंह विधवा भेरूसिंह नि0 रूदखेड़ा, तह0 महिदपुर जिला उज्जैन
3– तुलसीराम वल्द धूलाजी (मृत) वारिसान–
अ– जगदीश पुत्र तुलसीराम
ब– किशोर पुत्र तुलसीराम
दोनों नि0 ग्राम खरसोदखुर्द, तह0 बड़नगर,
जिला उज्जैन ––– अनावेदकगण

श्री पी0के0 गुप्ता, अभिभाषक – आवेदक
अना. एक पक्षीय है ।

आदेश

(आज दिनांक 25 अप्रैल ,2015 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के निगरानी प्रकरण कमांक 189/1985–86 में पारित आदेश दिनांक 01–12–1999 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम खरसौदखुर्द की प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं0 715/2 व 717/1 कुल रकबा 12 बीघा 7 विस्वा गैर–आदिवासी आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज होने से अनुविभागीय अधिकारी ने संहिता की धारा

170–ख के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबध्द किया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 19–12–85 व्दारा संहिता की धारा 170–ख (2) के प्रावधानानुसार समयावधि में जानकारी नहीं देने से प्रश्नाधीन भूमि मूल आदिम जन जाति और यदि वह मर चुका है तो उसके विधिक वारिसों को कब्जा देने एवं उनके नाम रिकार्ड दुरूस्त करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत की गयी अपील अपर कलेक्टर, उज्जैन ने अपने आदेश दिनांक 23–06–86 व्दारा खारिज की। आवेदक व्दारा प्रस्तुत निगरानी अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 01–12–99 व्दारा खारिज की। अतः आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा आवेदक के विव्दान अभिभाषक के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। अनावेदकगण की ओर से सूचना उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिये उनके विरूध्द एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने लिखित तर्कों में यह मुद्दा प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक व्दारा 06–05–1968 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र व्दारा खरीदकर विधिवत नामान्तरण कराया गया है। प्रश्नाधीन भूमि उज्जैन में बड़नगर तहसील में स्थित है। बड़नगर तहसील को अधिसूचित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है, इसलिये संहिता की धारा 165(6) के प्रावधान लागू नहीं होते। उनका तर्क है कि विक्रेता व्दारा अन्तरण के संबंध में कभी कोई आपत्ति किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की और ना ही कब्जे संबंधी कोई कार्यवाही की गयी। उनका तर्क है कि संहिता की धारा 170–ख की उपधारा (2) के तहत जानकारी प्रस्तुत नहीं करने पर उपधारा (3) के अधीन जॉच कर निष्कर्ष निकालना आवश्यक है, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने संहिता की धारा 170–ख की उपधारा (3) के अन्तर्गत निष्कर्ष निकाले बिना भूमि वापिस करने के आदेश देने में विधिक त्रुटि की है। इस संबंध में उन्होंने मेरा ध्यान 1995 रा0नि0 124, 1996 रा.नि. 95 तथा 1999 रा.नि. 388 की ओर आकर्षित किया है। उनका यह भी तर्क है कि संहिता की धारा 170–ख के अन्तर्गत इस बात की जॉच की जाना होती है कि जो अन्तरण किया गया है, वह अन्तरण कपटपूर्ण है या नहीं ?

विक्रेता व्दारा स्वयं कोई आपत्ति इस व्यवहार के संबंध में नहीं की गयी है और ना ही कोई विरोध आज तक किया गया। अधीनस्थ न्यायालय व्दारा इस संबंध में ना तो कोई जॉच की गयी और ना ही आवेदक को सबूत व खंडन साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

5/ अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख में उपलब्ध नामान्तरण पंजी की प्रति को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पर रायसिंह व तुलसीराम के स्थान पर बद्रीलाल पिता रतनलाल का नामान्तरण नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 09–06–71 व्दारा प्रश्नाधीन भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 06–05–68 व्दारा खरीदने के आधार पर किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 19–12–85 व्दारा संहिता की धारा 170–ख (2) के प्रावधानानुसार समयावधि में जानकारी नहीं देने से प्रश्नाधीन भूमि मूल आदिम जन जाति और यदि वह मर चुका है तो उसके विधिक वारिसों को वापिस करने तथा रिकार्ड दुरूस्त करने के आदेश दिये है। आत्माराम तथा अन्य वि. म0प्र0 राज्य तथा अन्य (1995 रा.नि. 124) में मान. उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने यह व्यवस्था दी है कि –

"भू–राजस्व संहिता 1959–धारा 170–ख– उपधारा (1), (2) तथा (3)– व्याप्ति– जानकारी अधिसूचित करने में असफल रहना– उपधारा (2) के अधीन उपधारणा की व्याप्ति– उपधारणा– खंडनीय है– क्रेता को कारण बताओ सूचना दी जाना चाहिये और उपधारा (3) के अधीन जॉच की जाना चाहिये।" धन्ना वि. नानूदी तथा अन्य (2001 रा.नि. 16) में मान. उच्च न्यायालय व्दारा यह व्यवस्था दी है कि –

"म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 धारा 170–ख (1) तथा (2) सहपठित म.प्र. अधिनियम क्र. 19 सन 1982 की धारा (3)–कब्जाधारी व्यक्ति ने धारा 170–ख (1) के अधीन जानकारी प्रस्तुत नहीं की– धारा 170–ख की उपधारा (2) के परिणाम उदभूत नहीं होगें– दावेदार कब्जा पाने का हकदार नहीं होगा– कब्जाधारी व्यक्ति को अपना कब्जा स्पष्टीकृत करने का फिर भी अधिकार है।"

मंगलू वि. म0प्र0 राज्य तथा अन्य (1999 रा.नि. 338) में मान. उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि –